

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्राथी/अपीलांट

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री चन्द्रवीरसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह देवड़ा
जाति राजपूत
निवासी धीरवाड़ा तहसील पिण्डवाड़ा
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 63 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
24.09.2020	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 13.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पटवार परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं परीक्षा परिणाम से संबंधित किये गये समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 13.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पटवार परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं परीक्षा परिणाम से संबंधित किये गये समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

